Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Employees Association
Chhattisgarh Rajya Gramin Bank Officer's Organisation

Affiliated with NFRRBO/NFRRBE(AIRRBEA)

B-122 Capital City Phase 2, Saddu Raipur -492014

Email- crgboogs@gmail.com, union.crgbea@gmail.com

Mobile- 98515 54101 / 95461 41090

General secretary - Ramesh Singh General secretary - Rahul Kumar

Ltr.No./JF-30/2025-26 Date - 09.07.2025

To
The Chairman
Chhattisgarh Rajya Gramin Bank
Corporate Office: Atal Nagar, Naya Raipur cms@cgbank.in

TRANSFER/POSTING OF EMPLOYEES/OFFICERS POST PROMOTION : RECONSIDERATION REGARDING DELAYED PROMOTION PROCESS

This is to inform that our Joint Forum (CRGBOO & CRGBEA) has been insisting upon completion of entire transfer exercise well before the commencement of academic season so as to enable our employees / officers to take care of admission their wards to schools/colleges and also enable them to settle down at their new place of posting, providing ample time to concentrate on achievement of Bank's business goals.

In this direction, the GOI, DFS through letter no – F.no.8/1/2025-RRB, dated – 20.02.2025 has issued instruction regarding review of transfer policy in RRB. The instruction quoted in the GOI, DFS letter is extracted below:

"Transfer timelines be clearly defined and strictly adhered to. Transfer exercise may be completed before June, every year. Mid –year transfer may be avoided as far as possible."

The daily newspaper Dainik Bhaskar also quotes on its 1st July 2025 edition that the state government of Chhattisgarh had issued guidelines not to transfer any government official further this year. In any unavoidable circumstance the permission of chief minister would be necessary before issuing the transfer order.

In this context, Bank has also issued instruction through circular no – CRGB/2025-26/46/Staff/10, dated – 29.04.2025. The instruction quoted in the bank circular is also extracted below:

"All transfer shall take place in the first quarter of the financial year i.e. 1st April to 30th June, However transfer on request grounds, transfer on promotion and transfer in case of administrative exigencies can be effected after June as and when these become due or wherever required. Mid-year transfers to be avoided unless necessary."

Normally the transfer exercise will be completed before June end and the new incumbents are expected to take up their responsibilities by the first/second week of July every year. However this time, we are already in first week of July and the likely date of implementation of transfer on promotion is uncertain due to the delayed promotion process. Moreover, Transferring Schools in the middle of an academic year can have significant repercussions, both academically and financially, for employees and their wards.

In the above backdrop, we fervently appeal to your good office as an exception and purely on humanitarian ground to weigh the potential academic and financial repercussions employees have to face due to mid academic year transfers after promotion and we request you to consider the transfer process after promotion as a special case for this year so as to obviate discomfort, dislocation and financial burden of the employees / officers concerned..

Regards;

Gen. Secretary, CRGBEA **Gen. Secretary, CRGBOO**

शासन-प्रशासन

दैनिक भास्कर, रायपुर, मंगलवार 1 जुलाई, 2025

जून में वित्त, स्वास्थ्य और वाणिज्यकर विभाग में हुए सबसे ज्यादा तबादले

आज से विभागों में तबादले हुए बंद अब मुख्यमंत्री की मंजूरी होगी जरूरी

भास्कर न्यूज | रायपुर

प्रदेश में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर सोमवार को फिर से प्रतिबंध लग गया। अब अगर किसी विभाग में तबादला करना जरूरी हुआ तो इसके लिए पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी होगी। वहीं जून में हुए तबादले से असंतुष्ट कर्मचारी को सचिवों की समिति में अपील करने की इजाजत दी गई है।

प्रदेश में 14 से 25 जून तक तबादलों की छूट दी गई थी लेकिन बाद में इसकी तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई थी। इस दौरान वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वाणिज्यकर विभाग समेत कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए। बताया गया है कि बैन के बाद भी स्कूल शिक्षा और पुलिस विभाग के भी बड़े पैमाने पर तबादले के आवेदन आए थे। अब इस विभाग के कर्मचारियों को इंतजार है कि कब उनके विभागों से बैन हटेंगे और वे अपना तबादला करवा सकेंगे।

यहां अनुमोदन की जरूरत नहीं

कई पदों पर स्थानांतरण में अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए विभागीय मंत्री की मंजूरी ही काफी होती है। ऐसे मामलों में प्रतिनियुक्ति से विभाग में वापसी पर की जाने वाली पदस्थापना शामिल हैं। किसी विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारी को छोड़कर कर्मचारियों की सेवाओं को दूसरे विभाग, संस्था में प्रतिनियुक्ति, एक्स कैडर पदस्थापना कर डिप्लॉयमेंट पर सौंपा जाना शामिल है। इसमें दोनों विभागों की सहमति जरूरी होगी। पीएससी या चयन समिति द्वारा की गई नई नियुक्तियों से रिक्त पदों पर पदस्थापना, न्यायालय के आदेश से स्थानांतरण-पदस्थापना, पदोन्नति से पदस्थापना, एक ही शहर में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में तैनाती शामिल है।

असंतुष्ट कर्मचारी को समिति में अपील करने की होगी सुविधा

अगर कोई कर्मचारी स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं है तो वह स्थानांतरण के विरूद्ध अपील कर सकता है। शासन की वरिष्ठ सचिवों की समिति बनी है। तबादला आदेश के 15 दिनों के अंदर समिति के संयोजक या सचिव जीएडी को आवेदन किया जा सकता है। समिति ऐसे आवेदनों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा विभाग को भेजेगी। संबंधित विभाग ऐसे प्रकरण में आदेश जारी करेंगे।

पुलिस और शिक्षा विभाग को तबादलों से रखा अलग

इस बार स्थानांतरण से पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग को अलग रखा गया था। शिक्षा विभाग को अलग रखने की वजह यह थी कि वहां शिक्षकों का पहले से ही युक्तियुक्तकरण चल रहा है। परीवीक्षाधीन अफसरों और कर्मचारियों का स्थानांतरण भी नहीं किया गया है। इसी प्रकार अनुमोदन की प्रत्याशा में भी तबादले नहीं हुए हैं। पुलिस के स्थानांतरण पुलिस बोर्ड ने किए।

समन्वय प्रकरणों में यह जानकारी जरूरी: कर्मचारी का नाम, गृह जिला, वर्तमान पदस्थापना, प्रस्तावित पदस्थापना व पद रिक्तता की स्थिति, प्रस्तावित पदस्थापना स्थान जिले में पूर्व में पदस्थ रहे हैं तो उसका विवरण, प्रस्तावक, कारण - प्रशासनिक, आपसी, अन्य।